

7

राज कुमार मौर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना
B.A. ~~III~~ II Year (H) Paper - III

विषय - सर्वोच्च न्यायालय

→ यह भारत का उच्चतम न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। यह संघीय न्यायालय के साथ-2 आ-तम अपीलीय न्यायालय भी है। यह न्यायालय दिल्ली में स्थित है। यह न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी करता है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई। यह न्यायालय भगवन् दास मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है।

न्यायाधीशों की संख्या

अनुच्छेद 124(1) के अनुसार 'भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा' जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।' किन्तु न्यायालय के कार्यों में वृद्धि को देखते हुए 2008 में संसद में एक संशोधन विधेयक लाया गया जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 30 न्यायाधीश कर दिए गए।

2

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

- * वह भारत का नागरिक हो।
- * वह लगातार कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो या
- * वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
- * राष्ट्रपति की दृष्टिकोण में प्रसिद्ध विधिवेत्ता रहा हो।

मुख्य न्यायाधीश

* परम्परा के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठता का निर्धारण उच्चतम न्यायालय में शपथ की तिथि से निर्धारित होता है।

अवकाश प्राप्ति

* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। किन्तु न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी उम्र का उल्लेख नहीं है।

शपथ

संविधान की तीसरी अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख है। ये शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख लिया जाता है।

I → भारतीय संविधान के प्रारंभिक प्रांत पूर्ण आस्था एवं निष्ठा।

II → भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता बनाए रखने की शपथ।

III → संविधान एवं विधि की रक्षा का शपथ तथा उपरोक्त कर्तव्यों को बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के अनुष्ठान करने की शपथ।

वेतन व भत्ते

वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2 लाख 80 हजार रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2 लाख, 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

4) न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति दो आधारों पर हटा सकते हैं।

- 1 → साबित कदाचार
- 2 → कार्य में असमर्थता

न्यायाधीशों का कार्यकाल

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, परन्तु न्यायाधीशों की नियुक्ति की किसी न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं है।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार

भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं।

1 → प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

2 → विट क्षेत्राधिकार

3 → अपीलिय क्षेत्राधिकार

4 → सलाहकारी क्षेत्राधिकार

5 → संविधान के संरक्षक के रूप में

6 → अप्रैलेडोपीय न्यायालय

7 → अन्य शाक्तियों

1 → प्रारंभिक क्षेत्राधिकार :- भारत में एक लिखित संविधान है इसमें केन्द्र व राज्य के बीच शाक्तियों का बटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। अतः केन्द्र व राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जाती है। इसी तरह विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है।

2 → रिट आधिकारिता :-

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अनु० 13(2) के अनुसार, व्यवस्थापिका मूल अधिकारों को देने वाला कोई कानून नहीं बना सकती है, तथा न्यायालय इस बात की जांच करता है कि क्या विधायिका के द्वारा विहित कानून मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कार्यवाही करे

37

3 → अपीलीय क्षेत्राधिकार :- यह भारत का उच्चतम अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय आधिकारिता से आशय, उन मामलों से है जिनमें उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है, इन मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश नहीं किया जा सकता है।

I → संविधान की व्याख्या के मामले जैसे - सिविल, दंडिक या अन्य

II → सिविल मामलों में अपील

III → दंडिक मामलों में अपील

IV → विशेष इजाजत से अपील

4 → सलाहकारी आधिकारिता :-

सलाहकारी आधिकारिता का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है, जिसका आशय है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है,

5 -> संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। संवैधानिक मामलों पर विचार के लिए 5 या अधिक न्यायाधीशों की बेंच का वि गठन किया जाता है, जिसे संवैधानिक बेंच कहा जाता है। इसके तहत यह देखा जाता है कि संविधान में उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

6 -> अभिलेखीय न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात इसके द्वारा की दिये गये निर्णय बाद में आने वाले मामलों के लिए आधार का कार्य करते हैं।

विविध शक्तियाँ

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का के विवाद का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने से पूर्व उच्चतम

न्यायालय से परामर्श किया जाता है

7 → अन्य शक्तियाँ

I → पुनरावलोकन शक्तियाँ

II → अपचारत्मक शक्तियाँ

III → न्यायालय की अवमानना